बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०–01/स्था० (मु०अ०)–06/2020......1407......../न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/3/2020

नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्य अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय प्रस्ताव के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.15 की कंडिका–3 (3) (क) के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की दिनांक–04.03.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–3398 दिनांक–04.03.2020 द्वारा की गई अनुशंसा के अंतर्गत निम्नांकित मुख्य अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर निम्न शर्त्तों के अधीन नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है–

क्र० सं०	अभियंता का नाम एवं गृह जिला	पदस्थापन स्थल
1	2	3
1	श्री अम्मी रंजन, सारण	मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज), नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय, बुडको)
2	श्री वीरेन्द्र कुमार, पटना	मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज), नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय, बुडको)

2. उपरोक्त अभियंताओं का नियोजन प्रथमतः दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जाता है। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवावधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

3. उपरोक्त मुख्य अभियंता (असैनिक) द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. संविदा नियोजन हेतु अनुशंसित सेवानिवृत्त उपरोक्त अभियंताओं को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर औपबंधिक रूप से नियोजन किया जा रहा है। औपबंधिक रूप से संविदा आधारित नियोजित मुख्य अभियंता (असैनिक) के संबंध में उनके संवर्ग नियंत्री विभाग/कार्यालय से उनके विरूद्ध आरोप/विभागीय बकाया/गोपनीय चारित्री के संबंध में अगर कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उन्हें संविदा नियोजन से हटा दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

5. संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (असैनिक) को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–6 में निहित प्रावधान के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित मुख्य अभियंता (असैनिक) अपने पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान देकर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को असैनिक चिकित्सक–सह–शल्य मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अन्य वांछित कागजात समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।